राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8961/2010

1. डॉ. विशाल कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट कुरगांव, जिला करौली, राजस्थान।
2. डॉ. पुरुषोत्तम दास शर्मा पुत्र श्री राम लाल शर्मा, निवासी ग्राम पोस्ट बामनवास, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य सचिव, आयुर्वेद विभाग चिकित्सा (समूह-4), राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।
3. केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद अपने सचिव, 61-65 इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली के माध्यम से।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री मानवेंद्र सिंह

प्रतिवादी(ओं) के लिए:

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

15/05/2024

1. याचिकाकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए विज्ञापन (अनुलग्नक 1) के अनुसरण में आयोजित संपूर्ण चयन प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा, वे सीसीआईएम नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों/नीति के अनुसार एक नई चयन प्रक्रिया आयोजित करने की मांग करते हैं।

2. संक्षेप में, याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं ने एसोसिएट प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन किया था। प्रतिवादियों ने चार व्यक्तियों की एक चयन समिति गठित की, जिसमें से तीन व्यक्ति उक्त विज्ञापन में भी आवेदक हैं। इस प्रकार, समिति अवैध थी। कोई भी व्यक्ति जो स्वयं भर्ती में रुचि रखता है, उसे समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। समिति ने आवेदन पत्रों की जांच करने के बाद, उन आवेदकों को भी कॉल लेटर जारी किए, जो एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए अपेक्षित योग्यताएं पूरी नहीं करते थे, जिसके लिए पांच साल का अनुभव आवश्यक है। जिन उम्मीदवारों के पास केवल दो साल का अनुभव था, उन्हें भी साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था।

2.1 भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (सीसीआईएम) ने दिनांक 02.05.2008 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं (अनुबंध 3), जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "नियमित शिक्षण पद के विरुद्ध आयुर्वेद अधिकारियों की संविदा/प्रतिनियुक्ति/मानद आधार पर नियुक्ति सीसीआईएम द्वारा शिक्षक के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी"। इसके बावजूद, प्रतिवादियों ने साक्षात्कार के लिए

अयोग्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया। व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 20.09.2010 को प्रतिवादी विश्वविद्यालय को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया (अनुबंध 9), जिसमें सभी अवैधताओं को उजागर किया गया, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया। इसलिए यह याचिका।

3. याचिका में निहित कथनों के जवाब में, प्रतिवादियों द्वारा कोई औपचारिक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यद्यपि, राजस्थान उच्च न्यायालय नियम, 1952 के नियम 161 के तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक आवेदन दायर किया गया है, जिसमें रिट याचिका को खारिज करने की मांग की गई है। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी आधार है कि याचिका इस दृष्टि से निष्फल हो गई है कि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं व्याख्याता के रूप में अपनी-अपनी नौकरियाँ छोड़ दी हैं, जो प्रश्नगत पद अर्थात एसोसिएट प्रोफेसर पर भर्ती के लिए सहायक पद थे।

4. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 4 से 9 ने सामूहिक रूप से उत्तर दाखिल किया है, जिसमें निम्नलिखित रुख अपनाया गया है:

> "1.याचिकाकर्ताओं ने विज्ञापन के अनुसरण में चयन को रद्द करने की मांग करते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की है और एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के पदों के लिए नए सिरे से चयन करने की भी प्रार्थना की है और प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे व्यक्तियों की उम्मीदवारी को इस आधार पर खारिज करने की भी प्रार्थना की है कि उनके पास एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं है। रिट याचिका पूरी तरह से गलत है क्योंकि चयन रोके जाने के कारण याचिकाकर्ताओं के किसी भी अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि सरकार ने योग्य

उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किया है और इसके जवाब में जिन व्यक्तियों ने आवेदन किया है, उनकी जांच की गई है और जो व्यक्ति योग्य और उपयुक्त पाए गए हैं, उन्हें नियुक्तियां दी गई हैं। इस प्रकार, इस प्रक्रिया में याचिकाकर्ताओं को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उत्तर देने वाले सभी प्रतिवादियों के पास अपेक्षित योग्यता है और इसलिए, उन्हें 02.11.2010 के आदेशों के अनुसार सही तरीके से नियुक्त किया गया है। इसकी प्रतियां अनुलग्नक ए/1 के रूप में रिकॉर्ड में हैं और इसके अनुसरण में, उन्होंने इस रूप में कार्यभार ग्रहण किया है और वे प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। याचिकाकर्ता अनुलग्नक 2 से अनावश्यक रूप से व्यथित हैं। वास्तव में, यह कुछ और नहीं बल्कि चयन-पूर्व चरण है, जिसके तहत समिति को केवल यह पता लगाने के लिए कागजात की जांच करने के लिए अधिकृत किया गया था कि आवेदकों के पास अपेक्षित योग्यता है या नहीं और यह वास्तव में चयन समिति नहीं है और इस आधार पर याचिकाकर्ताओं को कोई पक्षपात नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं का यह मामला नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, जो योग्य था, विचार से बाहर कर दिया गया है। उत्तर देने वाले प्रतिवादियों ने आगे प्रस्तुत किया कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है जिसके पास इस रूप में नियुक्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है और उम्मीदवारों का चयन करते समय, सभी प्रासंगिक मानदंडों, नियमों और दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा गया है।

याचिकाकर्ता भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा जारी परिपत्र को गलत तरीके से समझ रहे हैं जैसे कि जो व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर हैं, वे हमेशा के लिए अयोग्य हो गए हैं। पुनरावृत्ति की कीमत पर भी, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिन व्यक्तियों को नियुक्तियाँ दी गईं, वे सभी पात्र हैं और विधिवत गठित समिति द्वारा उन्हें उपयुक्त पाया गया। इस प्रकार, यह सुझाव देना गलत है कि केंद्रीय परिषद की नीति का किसी प्रकार का उल्लंघन हुआ है।

2. याचिकाकर्ताओं के आरोप किसी भी व्यक्ति विशेष के संबंध में किसी भी आधार से रहित हैं, जिसने मनमाने ढंग से और अवैध तरीके से काम किया है। याचिकाकर्ताओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पारित आदेश पर सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं है। यह प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च विशेषज्ञता वाला निकाय है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय सही, कानूनी और वैध माना जाता है और इस निर्णय को भी चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी भी उम्मीदवार के लिए इस तरह की बकवास करना और यह तर्क देने की कोशिश करना उचित नहीं है कि विश्वविद्यालय ठीक से काम नहीं कर रहा है। लिया गया निर्णय सभी उम्मीदवारों के लिए सार्वभौमिक रूप से लागू किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रतिवादी नहीं है, इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित किसी भी आरोप पर विचार नहीं किया जा सकता। भारतीय

चिकित्सा के लिए केंद्रीय परिषद जैसी जिम्मेदार संस्था ने 11.08.2010 को एक आदेश पारित किया है और याचिकाकर्ता, जो इच्छुक थे, भारतीय चिकित्सा के लिए केंद्रीय परिषद को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस मामले के मद्देनजर, यह प्रस्तुत किया जाता है कि चयन पूरी तरह से कानून के अनुसार किया गया है और किसी भी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है जिसके पास कोई योग्यता नहीं है। इस प्रकार, याचिका पूरी तरह से गलत है और इसे अनुकरणीय लागत के साथ खारिज किया जाना चाहिए। इसलिए, यह सबसे विनम्रतापूर्वक और सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को अनुकरणीय लागत के साथ खारिज किया जाए।

5. इस संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई अतिरिक्त हलफनामा और/या प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है। इसलिए, यह मान लेना सुरक्षित है कि निजी प्रतिवादियों द्वारा लिया गया उपरोक्त रुख निर्विवाद है। इसके अलावा, इसे देखने के बाद, मेरा यह भी मानना है कि इस मामले में न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप को उचित ठहराने के लिए, ऊपर पुनरुत्पादित रुख में तथ्यों या कानून में कोई अनियमितता नहीं है।

6. उपरोक्त के अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि याचिका वर्ष 2010 में किसी समय दायर की गई थी, और तब से चयनित उम्मीदवार सेवा में निरंतर काम कर रहे हैं और हो सकता है कि उन्होंने अपने करियर में और पदोन्नति भी अर्जित की हो। इस हद तक, इस स्तर पर समानता उनके पक्ष में भारी है।

7. इसके अलावा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैच शुरू होने के बाद और उसमें भाग लेने के बाद, असफल होने पर खेल के नियमों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के समय चयन मानदंडों और इसके उद्देश्य के लिए गठित समिति के बारे में पूरी जानकारी थी। उनका चयन नहीं होने के बाद ही उन्होंने इसे चुनौती देने का फैसला किया।

8. उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, मुझे इस विलंबित चरण में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं दिखता।

9. खारिज।

(अरुण मोंगा), जे

(यह अनुवाद एआई टूलः SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।